

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-49/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० सुप्रिया कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा द्वारा दिनांक-30.04.2019 से 24.06.2019 तक कुल-56 (छप्पन) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1058(25) दिनांक-01.08.2019 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता एव बिहार सेवा सहिता के नियम-230 एवं 248 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

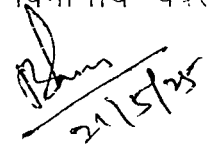
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-49/2025- 804/2 पटना, दिनांक 21/5 /2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० सुप्रिया कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।